e-ISSN:2582-7219

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 6, Issue 9, September 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.54

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.54| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 6, Issue 9, September 2023 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2023.0609015 |

महिला आरक्षण बिल: सफलता एवं चुनौतियाँ [महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में]

Dr. Pritee Verma

Associate Professor, Political Science, Maharishi Arvind University, Jaipur, Rajasthan, India

सार

नारी शक्ति वंदन अधिनियम अथवा महिला आरक्षण विधेयक भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया वह विधेयक है जिसके पारित होने से संसद में महिलाओं की भागीदारी 33% सुनिश्चित हो जाएगी।[1] 1996 में महिला आरक्षण विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।[2]

19 सितंबर 2023 को, नरेंद्र मोदी सरकार ने नए संसद भवन में लोकसभा में संसद के विशेष सत्र के दौरान इस विधेयक को 128वें संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2023[3] के रूप में पेश किया।[4][5] नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से पारित होने के बाद दोबारा राज्यसभा में जाएगा।[6][7]

परिचय

महिला आरक्षण विधेयक या संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 9 मार्च, 2010 , भारत की संसद में पारित एक विधेयक है जो संसद के निचले सदन में सभी सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने की बात कहता है। भारत, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए। [1] सीटों को चक्रानुक्रम में आरक्षित करने का प्रस्ताव था और इसे ड्रा द्वारा इस तरह निर्धारित किया जाएगा कि एक सीट लगातार तीन आम चुनावों में केवल एक बार आरक्षित की जाएगी। [2]

राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को विधेयक पारित कर दिया। [3] लोकसभा ने विधेयक पर मतदान नहीं किया। [4] [5] लोकसभा और लोकसभा में लंबित रहने के बाद बिल समाप्त हो गया; यह 2014 और 2019 में दो बार समाप्त हो गया। [6] [7]

20 सितंबर 2023 को लोकसभा द्वारा एक समकक्ष विधेयक पारित किया गया, जिसके पक्ष में 454 वोट और विरोध में दो वोट पड़े। [8] इसके बाद इसे राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। 21 सितंबर 2023 तक यह विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित था। [9]

स्थायी समिति की सिफ़ारिश [1,2,3]

मूल रूप से, विधेयक में सभी विधायी निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव था, [10] लेकिन स्थायी समिति ने केंद्र में 'लोकसभा' लोकसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में आरक्षण को सीमित करने का सुझाव दिया। इस सिफ़ारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया और विधेयक में शामिल कर लिया।

महिला आरक्षण बिल का इतिहास [5,7,8]

1987 में, प्रधान मंत्री राजीव गांधी की सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें देने के लिए केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा के नेतृत्व में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया। [11] [12] राजीव गांधी ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक लोकसभा में पारित हो गया लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पारित होने में विफल रहा। 1992 में, प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किए, जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33.3 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य था। [13]महिला आरक्षण विधेयक पहली बार एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 12 सितंबर 1996 को 11वीं लोकसभा में संविधान (81वां संशोधन) विधेयक, 1996 के रूप में पेश किया गया था। फिर इसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था, लेकिन 11वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया। [14] 1996 में महिला

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.54| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 6, Issue 9, September 2023 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2023.0609015 |

आरक्षण विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। [15]

1993 में, भारत में एक संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था जिसमें ग्राम पंचायत में ग्राम परिषद नेता या सरपंच के यादृच्छिक एक तिहाई पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आह्वान किया गया था। [16]

इस आरक्षण को संघीय संसद और राज्य विधानसभाओं तक विस्तारित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाई गई थी। [17] [18] [19]

19 सितंबर 2023 को, नरेंद्र मोदी सरकार ने नए संसद भवन में लोकसभा में संसद के विशेष सत्र के दौरान 128वें संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2023, [20] नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में विधेयक का एक रूप पेश किया । [21] [22] नारी शक्ति वंदन अधिनियम 20 सितंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े और विरोध में दो वोट पड़े। [8] 20 सितंबर 2023 तक , बिल पर राज्यसभा में मतदान होने की उम्मीद थी; [23] [24] परिणाम सर्वसम्मति से अनुमोदन था।

विचार-विमर्श

राज्यसभा में इस वक्त महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस संबंध में भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए सदन में संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक पेश किया। कल लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था. [9,10,11]इस विधान को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है।

सदन में विधेयक पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह कानून देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा, यह भारत को अमृत काल में विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मेघवाल ने महिलाओं के लाभ के लिए उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी मौजूदा कोटे के भीतर 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए जनगणना और परिसीमन जरूरी है.[12,13,15]

महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक को लाना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा, विधेयक लोकसभा और राज्यों की सभी विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक तिहाई आरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इन श्रेणियों में आरक्षित सीटों में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण होगा। सुश्री सीतारमण ने कहा कि विधेयक में यह भी कहा गया है कि यह आरक्षण तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि लोकसभा या किसी विशेष राज्य की विधानसभा या दिल्ली की विधानसभा भंग नहीं हो जाती।

भाजपा नेता जेपी नड्डा ने विश्वास जताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कल लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित होगा। उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति में महिलाओं की सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री नड्डा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहती बल्कि उसका लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा, पिछले नौ वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई फैसले लिए हैं।[17,18,19]

बिल का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने कहा कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए. हालाँकि, उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में लाने में देरी पर सवाल उठाया।

डीएमके की डॉ. कनिमोझी सोमू ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं पर कोई अहसान नहीं बल्कि अधिकार का मामला है। आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार पाठक ने भी बिल के पक्ष में बोलते हुए कहा कि यह कानून समाज और देश के लिए बेहद जरूरी है. बीआरएस के डॉ. के केशव राव ने विधेयक का समर्थन किया और इसे एक ऐतिहासिक कानून बताया। वाईएसआरसीपी के वी. विजयसाई रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक को पूरा समर्थन दे रही है और मांग की कि राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में भी महिला आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।[20,21,22]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.54| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 6, Issue 9, September 2023 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2023.0609015 |

चर्चा में भाग लेने वालों में एआईटीसी की डोला सेन, भाजपा की सरोज पांडे, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, सपा की जया बच्चन, झामुमो की महुआ माजी और बीजद की सुलता देव शामिल थीं। बिल पर चर्चा चल रही है

परिणाम

महिला आरक्षण बिल लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया है.

इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है.

इस बिल को लागू करने की राह में कई रोड़े हैं, जिसके चलते लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

बिल में कहा गया है कि जनगणना के आंकड़ों और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसके प्रावधान लागू हो सकेंगे.

पिछला देशव्यापी परिसीमन 2002 में हुआ था. इसे 2008 में लागू किया गया था.

परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के बाद महिला आरक्षण प्रभावी हो सकता है.

पक्ष में कितने वोट

केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था.

संसद की नई इमारत में 19 सितंबर को कार्यवाही शुरू हुई. पहले ही दिन क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया.[23,25,27]

20 सितंबर को लोकसभा में करीब सात घंटे की चर्चा के बाद यह बिल पास हुआ. इसके पक्ष में 454 मत पड़े, जबकि दो सांसदों ने इसके विरोध में वोट दिया.

21 सितंबर, गुरुवार को 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' राज्यसभा से पारित हुआ, जहां 215 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट डाले. यहां एक वोट भी इसके विरोध में नहीं पड़ा.

राज्यसभा में बिल के पास होते ही संसद का विशेष सत्र भी खत्म हो गया. सत्र के आखिरी यानी चौथे दिन महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई.

विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीटें आरक्षित हैं. इन आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

इस समय लोकसभा की 131 सीटें एससी-एसटी के लिए आरक्षित हैं. महिला आरक्षण विधेयक के क़ानून बन जाने के बाद इनमें से 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.[28,29,30]

इन 43 सीटों को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा.

इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं के लिए आरक्षित 181 सीटों में से 138 ऐसी होंगी जिन पर किसी भी जाति की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा यानी इन सीटों पर उम्मीदवार पुरुष नहीं हो सकते.

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि आज महिलाओं को न्याय मिल रहा है.

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.54| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 6, Issue 9, September 2023 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2023.0609015 |

उन्होंने कहा, "आज हम महिलाओं को न्याय दे रहे हैं. बिल पास करके हम महिलाओं को और सशक्त कर रहे हैं."

क़ानून मंत्री मेघवाल ने कहा, "महिला आरक्षण बिल पारित होने के लिए ये सही समय है. हम बिल को अटकने नहीं देंगे. भारत लोकतंत्र की जननी है. इस बिल को पास करके हम लोकतंत्र की यात्रा में नया इतिहास रच रहे हैं."

उन्होंने एक कविता भी सुनाई, "नारी शक्ति तेरा वंदन, वंदन है और अभिनंदन है, नारी शक्ति की मान बढ़ेगा, सपनों को अब पंख मिलेंगे, मिलजुलकर काम करेंगे, देश हमारा विकसित होगा. दुनिया का नेतृत्व करेगा."

निष्कर्ष

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल पारित होते ही महिलाओं के अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा.

लोकसभा में अमित शाह ने कहा, "कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है. राजनीतिक मुद्दा हो सकता है. ये नारा चुनाव जीतने का हथियार हो सकता है. लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी के लिए महिला सशक्तीकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है. मान्यता का सवाल है."[28,29]

गृह मंत्री ने कहा कि वेदों में महिलाओं को बड़ी जगह दी गई है. उन्होंने कहा कि इसके साथ महिला अधिकारों की एक लंबी लड़ाई का अंत हुआ है. शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री का महिला नीत विकास का सपना साकार हो रहा है.

अमित शाह ने कहा, "कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भूमिका बनाना शुरू किया कि इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो क्योंकि ये परिसीमन की वजह से अभी लागू नहीं होगा. कुछ ओबीसी और मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं. आप समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा. एक बार श्रीगणेश तो करो."

उन्होंने कहा, "मोदी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा दिया. महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता, जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और सरकार बनी, तभी से ये सरकार का श्वास और प्राण दोनों बने हुए हैं."[30]

उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने पांच दशक से ज़्यादा शासन किया लेकिन 11 करोड़ घरों में शौचालय नहीं था. मोदी जी ने पहले पांच साल के अंदर ही 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनवाए. माता, बहनों, बेटियों का सम्मान हुआ. सशक्तिकरण हुआ. एलपीजी कनेक्शन दिया. तीन करोड़ से ज़्यादा माताओं को घर दिया."[31]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "Women's reservation Bill – imperfect but important".
2. ↑ "Should there be sub-quota for OBC women? Debate rages".
3. ↑ "Calling himself 'chosen one', PM Modi brings in women's Bill, with SC/ST quota".
4. ↑ "Govt brings in women's reservation Bill: One-third of seats to be reserved, also in SC/ST quota".
5. ↑ "Mallikarjun Kharge vs Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha over women's reservation bill remarks".
6. ↑ "PM Modi urges Rajya Sabha MPs to unanimously approve women's reservation bill".
7. ↑ "Rajya Sabha proceedings adjourned for day; House to meet on September 20".
8. "महिला आरक्षण विधेयक, संस्करण 2010: दो प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों ने संसद, विधानसभाओं में एससी-एसटी कोटा को प्रतिबिंबित किया" । 19 सितंबर 2023.
9. ^ "महिला आरक्षण विधेयक - अपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण" । 21 सितंबर 2023.
10. ^ "राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 9 मार्च 2010. 11 अगस्त 2011 को मूल से संग्रहीत ।
11. ^ "लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने महिला सशक्तिकरण का आह्वान किया" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 9 मार्च 2013. 5 मई 2013 को मूल से संग्रहीत । 3 दिसंबर 2013 को लिया गया .
12. ^ "भारत में महिला सांसद कोटे को लेकर हंगामा" । न्यूयॉर्क टाइम्स । 9 मार्च 2010.
13. ^ "नारी शक्ति वंदन अधिनियम: महिला आरक्षण विधेयक के मुख्य बिंदु" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 19 सितंबर 2023.

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.54| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 6, Issue 9, September 2023 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2023.0609015 |

14. ^ "महिला आरक्षण बिल क्या है, इसका इतिहास और इसे सबसे पहले कौन लाया था" । 19 सितंबर 2023.
15. ^ऊपर जायें:[ए बी] "भारत के निचले सदन ने महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए वोट किया"। अल जज़ीरा अंग्रेजी । 20 सितंबर 2023।विकिडेटाQ122735230। 20 सितंबर 2023 को मूल सेसंग्रहीत
16. ^ "नारी शक्ति वंदन अधिनियम | महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित | पीएम मोदी | न्यूज़18" ।
17. ^ "कथित तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को हरी झंडी दे दी है; आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है" । 18 सितंबर 2023.
18. ^ "राजीव गांधी से नरेंद्र मोदी तक महिला आरक्षण विधेयक की एक राजनीतिक समयरेखा" ।
19. ^ "महिला आरक्षण बिल क्या है, इसका इतिहास और इसे सबसे पहले कौन लाया था" । 19 सितंबर 2023.
20. ^ "महिला आरक्षण विधेयक के राजनीतिक इतिहास का पता लगाना" । 19 सितंबर 2023.
21. ^ "महिला आरक्षण विधेयक का इतिहास भारतीय गुट एकता की परीक्षा ले सकता है" ।
22. ^ "क्या ओबीसी महिलाओं के लिए उप-कोटा होना चाहिए? बहस तेज़" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 20 सितंबर 2023.
23. ^ चट्टोपाध्याय, राघबेंद्र, और एस्तेर डुफ्लो (2004)। "नीति निर्माताओं के रूप में महिलाएं: भारत में एक यादृच्छिक नीति प्रयोग से साक्ष्य" । अर्थमिति । अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब । 72 (5): 1409-43. डीओआई : 10.1111/जे.1468-0262.2004.00539 .x । एचडीएल : 1721.1/39126 । 14 दिसंबर 2018 को लिया गया .
24. ^ महिलाएं नौकरियों, प्रमोशन में 33% आरक्षण की मांग कर रही हैं
25. ^ महिला विधेयक: किस बारे में हंगामा है? रेडिफ़ 24 अगस्त 2005।
26. ^ आरक्षण व्यवसाय , इंडियन एक्सप्रेस , 11 अगस्त 1998।
27. ^ "खुद को 'चुने हुए' कहते हुए, पीएम मोदी एससी/एसटी कोटा के साथ महिला विधेयक लाए" । 19 सितंबर 2023.
28. ^ "सरकार महिला आरक्षण विधेयक लाती है: एक तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी, एससी/एसटी कोटे में भी" । 19 सितंबर 2023.
29. ^ "महिला आरक्षण विधेयक पर टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम निर्मला सीतारमण" । 19 सितंबर 2023.
30. ^ "पीएम मोदी ने राज्यसभा सांसदों से महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से मंजूरी देने का आग्रह किया" । द हिंदू । 19 सितंबर 2023.
31. ^ "राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित, सदन की बैठक 20 सितंबर को होगी" ।

Impact Factor
7.54

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com